

Reg. No- 1247/19

25. 10. 2019 आत्म समर्पित अभियुक्तगण 1. सत्यदेव ठाकुर एवं 2. साधना देवी की ओर से नवीन अधिकार पत्र एवं सूचक के द्वारा किये गये बँटवारा वाद सं०- 175/2017 के सत्यापित प्रति के साथ जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

वाद पुकारा गया, पुकार पर आत्म समर्पित अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थिति हुए। जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित करते हुए इनका कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी की ओर से इस जमानत आवेदन पत्र के अलावा न तो विद्वान सत्र न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 504, 427, 452, 354, 379, 120(b) 506 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें धारा 452, 379, एवं 354 भा०दं०वि० को छोड़कर सभी जमानतीय प्रकृति के है। उभय पक्षों के बीच जमीनी विवाद है। प्रार्थी अपने सक्षम जमानतदारों द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 504, 427, 452, 354, 379, 120(b) 506 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें धारा 452, 379, एवं 354 भा०दं०वि० को छोड़कर सभी जमानतीय प्रकृति के है। सूचक ने अपने प्राथमिकी आवेदन में सत्यदेव ठाकुर पर यह आरोप लगाया है कि मेरी पत्नी के गले से एक भर का सोने का चैन ले लिया तथा साधना देवी पर आरोप लगाया है कि उनके एक हाथ में पिस्तौल तथा दुसरे हाथ में लोहे का सरिया था। उभय पक्षों के बीच जमीनी विवाद है। सूचक के द्वारा बँटवारा वाद दाखिल किया गया है। उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य है। अतएव इनके सक्षम जमानतदारों द्वारा 5000 X2 के समान धन राशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

न्या० दण्डा० प्र० श्रेणी, पुपरी

25. 10. 2019 उपरोक्त आदेशानुसार आत्म समर्पित अभियुक्त के जमानतदारों द्वारा सत्यापित बंधपत्र दाखिल किया गया। जिसे सही वो संतोषप्रद पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

न्या० दण्डा० प्र० श्रेणी, पुपरी